



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112025-267927
CG-DL-E-24112025-267927

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 757]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2025/अग्रहायण 3, 1947

No. 757]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2025/AGRAHAYNA 3, 1947

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2025

फा.सं. 6(1)95- नालसा- कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का 39) की धारा 3-अ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी को 24.11.2025 से उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नामित करता है और दिनांक 09.2.2000 की अपनी अधिसूचना सं 115 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 1 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

श्री न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी – अध्यक्ष

न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय

भरत पाराशर, ओ.एस.डी. (एस.जी. ग्रेड में), भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार
[विज्ञापन-III/4/असा./493/2025-26]

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2025

F.No.6(1)95-NALSA- In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), Hon'ble the Chief Justice of India is pleased to nominate **Hon'ble Mr. Justice Jitendra Kumar Maheshwari**, Judge, Supreme Court of India, as Chairman of the Supreme Court Legal Services Committee with effect from 24.11.2025 and makes the following amendment in its Notification No. S.O.115(E) dated 09.02.2000 namely:-

In the said Notification, for the serial number (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely: -

1. **“MR. JUSTICE JITENDRA KUMAR MAHESHWARI – CHAIRMAN”**

Judge, Supreme Court of India.

BHARAT PARASHAR, O.S.D.(in the grade of S.G.),
Supreme Court of India Addl. charge of Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./493/2025-26]